3

समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद

पिछले अध्याय में आपने राज्य और उसके घटक एवं राष्ट्र, राष्ट्रीयता की संकल्पना तथा राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच भेद के बारे में पढ़ा। पिछले अध्याय में ही राजनीति और राजनीति विज्ञान का अर्थ और उनके बीच अंतर के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में आप कुछ अन्य संकल्पनाओं, विशेषत: 'समाज' 'सरकार' और दूसरे संघ के बारे में तथा उनके बीच अंतरों को समझेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- समाज, सरकार और अन्य संघ के अर्थ समझ सकेंगे;
- राज्य और समाज के बीच अंतर को जान सकेंगे;
- राज्य और अन्य संघ के बीच अंतर समझ सकेंगे;
- राज्य और सरकार में अंतर जान सकेंगे;
- राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।

3.1 राज्य और समाज

पिछले अध्याय में आपने 'राज्य' का अर्थ समझा। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य एक राजनीतिक समाज है जिसके चार घटक हैं- जनसंख्या, निर्धारित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। आप जानते हैं कि राज्य कानून के माध्यम से स्वाभाविक रूप से दमनकारी शक्ति का प्रयोग करके सामाजिक आचार-विचार को नियंत्रित रखता है। एक संकल्पना के रूप में समाज एक संगठन भी है और सामाजिक संबंधों की कड़ी भी। यह एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें सामाजिक रिश्तों का एक जाल बुना होता है।

3.2 राज्य और समाज में भेद

हमें राज्य और समाज में अंतर को स्पष्टत: समझना होगा अन्यथा हम मानव जीवन के बदलते हरेक पहलू पर राज्य के हस्तक्षेप को उचित मानते रहेंगे जिससे उसकी आजादी प्रभावित होती है। इन दोनों को परस्पर शब्द मान लेने से कई राजनीतिक और सामाजिक भ्रामक सिद्धांतों को बल मिलेगा। **मैकाआइवर** कहते हैं: ''समाज (सामाजिक) को राज्य (अर्थात राजनीतिक) से अलग करके देखना सबसे बड़ी भ्रांति का शिकार होना है जो दोनों में से (राज्य या समाज) किसी को भी समझने में आपको पूर्णतया रोकता है।'' वास्तव में, प्राचीन यूनानी दार्शनिकों (सुकरात, प्लेटो और अरस्तु) ने राज्य और समाज के बीच कोई भेद नहीं किया। उन्होंने 'पोलिस' को समाज और राज्य दोनों का दर्जा दिया। अट्ठारवीं सदी के फ्रांस के

राजनैतिक दार्शनिक **रूसो** जैसे आदर्शवादियों ने भी दोनों को एक ही माना।

राज्य और समाज के बीच अंतर को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है:

(क) राज्य एक राजनीतिक संगठन है; यह राजनीतिक रूप से गठित एक समाज है। दूसरी ओर समाज एक सामाजिक संगठन है जिसमें सभी प्रकार के संघ (सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक) निहित हैं। समाज राज्य से विशाल भी है और संकीर्ण भी। यह विशाल है जब इसका प्रयोग मानव जाति के संपूर्ण समुदाय को व्यक्त करने में किया जाता है; यह संकीर्ण है जब इसे किसी गाँव के एक छोटे से समूह को वर्णित करने में किया जाता है।

(ख) उत्पत्ति के क्रम में समाज राज्य से पहले आता है। यह कहा जा सकता है कि समाज का जन्म मानव जीवन के उदय के साथ ही हुआ है। परंतु समाज के साथ ही राज्य का उदय नहीं हुआ; सामाजिक विकास के बाद के चरणों में इसका विकास हुआ। मनुष्य पहले एक सामाजिक प्राणी बना, इसके बाद राजनीतिक।

(ग) स्पष्टत: राज्य से पहले स्थान होने के कारण समाज एक प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था है। दूसरी ओर राज्य एक बनावटी और मानव निर्मित संस्था है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर निर्मित किया गया है। यह भी एक कारण है कि हम राज्य को एक औपचारिक एवं वैधानिक संगठन की संरचना के रूप में पाते हैं। समाज भी एक संगठन है; संस्था है, परंतु यह राज्य की भांति औपचारिक नहीं हैं।

(घ) राज्य का अस्तित्व समाज के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई साधन उसके साध्य के लिए। अत: राज्य एक साधन है तथा समाज उसका साध्य। सदैव साधन का अस्तित्व साध्य के लिए है न कि साध्य का अस्तित्व साधन के लिए।

(ड.) राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होती है; बिना प्रभुसत्ता के राज्य नहीं हो सकता। समाज की अपनी प्रभुसत्ता नहीं होती; यह बिना संप्रभुता के होता है। संप्रभु होने के कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंदर सभी संगठनों, संघ और व्यक्तियों के ऊपर एक शक्ति रखता है; यह संप्रभुता ही राज्य को एक विशेष तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करती है।

(च) राज्य का एक निश्चित भू-भाग होना चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि निश्चित भू-भाग राज्य का एक आवश्यक घटक है। इस प्रकार राज्य तब तक एक क्षेत्रीय संगठन है, जब तक कि यह एक निश्चित क्षेत्र में हो। इसकी क्षेत्रीय सीमाऐं निश्चित हों और स्थायी हों। समाज का भी एक क्षेत्र होता है परंतु वह स्थायी नहीं होता। इसका कार्य-क्षेत्र विस्तृत भी हो सकता है और सीमित भी। उदाहरण के लिए, इस्लाम समाज राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ है। इसी तरह अन्य समाज भी।

(छ) राज्य के आचार के कुछ सामान्य नियम होते हैं जिन्हें कानून कहते हैं। समाज में भी आचरण के कुछ नियम होत हैं जिन्हें कर्मकाण्ड, मापदंड या आदतें आदि कहते हैं। राज्य के नियम लिखित, निश्चित और स्पष्ट होते हैं; समाज के नियम अलिखित, अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं।

(ज) राज्य के नियम बाध्यकारी होते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर शारीरिक या अन्य या दोनों तरह की सजाएँ दी जा सकती हैं। जबकि सामाजिक नियम के उल्लंघन से सामाजिक बहिष्कार जैसी सजा दी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि राज्य का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ आज्ञा के उल्लंघन के कारण राज्य कार्रवाई करता है। राज्य को बल प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर, समाज

टिप्पणी

का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग का क्षेत्र है तथा जिसकी शक्ति सद्‌भाव है एवं इसकी कार्यविधि लचीली है।

इन अंतरों के बावजूद समाज एवं राज्य में अन्यांनोश्रित संबंध है। सामाजिक आचरण एवं समाज की संरचना राज्य के नियमों के अनुकूल होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ, राज्य को भी समाज की इच्छा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 3.1

रिक्त स्थान भरिए

(क) प्राचीन यूनानियों के लिए 'पोलिस' एक शहर भी था और .... भी।

(ख) मूल उत्पत्ति के अर्थ में समाज का स्थान राज्य से .... है।.

(ग) स्वाभाविकत रूप से समाज ....संस्था है, और यांत्रिक होने के कारण राज्य एक .... संस्था है।

(घ) राज्य का अस्तित्व समाज के लिए एक .... की तरह है।

(ङ) राज्य के साधन को समाज एक .... प्रदान करता है।

(च) समाज का कार्य-क्षेत्र .... सहयोग हैं; राज्य का कार्य-क्षेत्र .... हैं।

3.3 राज्य और अन्य संगठन

संगठन लोगों का वह संगठित समूह है जो उनके सामूहिक प्रयास द्वारा एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। अत: किसी संगठन के तीन लक्षण होते हैं:-

(क) लोगों का संगठन

(ख) कोई सामान्य/विशेष उद्देश्य

(ग) सामूहिक प्रयास

जैसे कि परिवार एक संगठन है। परिवार के लोग रिश्तों से जुड़े होते हैं; परिवार के सभी लोग परिवार की सामान्य उद्देश्य पूर्ति के लिए काम करते हैं। संगठन के अन्य उदाहरण हैं जैसे कि क्रिकेट क्लब, चर्च, रैड क्रॉस सोसायटी, रैजिडैन्टस वैलफेयर एसोसिएशन, आदि। संगठनों के मिलने से समाज बनता है। राज्य भी एक संगठन है जो अन्य संघ के साथ समाज में अस्तित्व में रहता है। परंतु संगठन रूप में राज्य का अस्तित्व दूसरे संगठनों से अलग होता है। इन अंतरों को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है:

(क) राज्य सहित सभी संगठन व्यक्तियों से मिलकर बने होते है। जहां राज्य में सदस्यता अनिवार्य है वहीं दूसरी ओर अन्य संगठनों में यह स्वैच्छिक है। किसी व्यक्ति को राज्य का सदस्य होना चाहिए; कोई भी व्यक्ति दो राज्यों का सदस्य नहीं हो सकता; उसकी किसी एक राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। किसी अन्य संगठन जैसे क्रिकेट क्लब, चर्च, या रैड क्रास सोसायटी की सदस्यता स्वेच्छा का विषय है। अर्थात यह किसी की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी संगठन में सम्मिलित हो या न हो।

(ख) कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है; वह एक ही समय में दो या अधिक राज्यों का सदस्य नहीं हो सकता। परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में कई संगठनों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।

टिप्पणी

(ग) सभी संगठनों के लिए एक भू-भाग होता है। राज्य रूपी संगठन की सीमाएं निश्चित होती हैं। अन्य सभी संगठनों का स्थायी भू-भाग नहीं होता। अन्य प्रकार के संगठनों के कार्य करने के लिए आवश्यक स्थान भी निश्चित नहीं होता; यह स्थान किसी दिन यहाँ हो सकता है तो अन्य दिन कहीं और परंतु राज्य का क्षेत्र सदैव स्थायी होता है।

(घ) राज्य सहित सभी संगठनों का अस्तित्व एक न एक उद्देश्य की प्राप्ति है। जबकि राज्य का उद्देश्य सदैव सामान्य (जैसे कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखना) होता है, वहीं अन्य संगठनों का उद्देश्य कुछ विशेष होता है। क्रिकेट संगठन का विशेष उद्देश्य क्रिकेट खेलना है। हम कह सकते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र में सभी गतिविधियाँ समाहित हैं जबकि दूसरे संगठनों में यह सीमित होता है।

(ड.) राज्य का चरित्र राष्ट्रीय है। अन्य संगठनों के चरित्र क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय (जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय दल है)। रैजिडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन एक क्षेत्रीय संगठन है; हरियाणा का गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन प्रांतीय है। यूनाइटेड नेशन्स एजूकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑरगेनाइजेशन (यूनैस्को) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

(च) अन्य संगठनों और राज्य में प्रभुसत्ता का अंतर है क्योंकि अन्य संस्थाऐं संप्रभु नहीं हैं जबकि राज्य संप्रभु होता है। अन्य संगठन पूर्णस्वायत्त हो सकते हैं और सदैव होते भी हैं परंतु उन्हें राज्य के नियमानुसार कार्य करना होता है। राज्य सभी संघों में सर्वशक्तिमान होता है और किसी अन्य राज्य से स्वतंत्र।

(छ) राज्य के कानूनों का उल्लघंन करने पर सजा होती है जैसे कि जेल। अन्य किसी संगठन को किसी को भी शारीरिक दंड देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वे किसी को संगठन से केवल बाहर निकाल सकते हैं।

इस प्रकार से राज्य तथा अन्य संघ के बीच संबंध महत्त्वपूर्ण हैं। अन्य संगठन राज्य के उत्तरदायित्वों को कम करते हैं; वे राज्य से भी अच्छा कार्य करते हैं; उनमें से कुछ तो, जैसे कि परिवार, मित्र समूह, चर्च आदि, राज्य के अस्तित्व से भी पहले के हैं। राज्य उनकी शक्तियों को कम नहीं करता तथा उन पर प्रभुत्व नहीं दिखाता। सबसे अच्छा कार्य जो राज्य इस क्षेत्र में कर सकता है वह यह है कि वह इनकी क्रियाओं का ठीक से निरीक्षण करें; उनमें योगदान दे। ठीक इसी प्रकार अन्य संगठनों को भी अपने क्षेत्र और क्रियाओं को राज्य नियमों के दायरे से बाहर होकर उन्हें चुनौती नहीं देनी चाहिए। राज्य को भी अन्य संगठनों की पूर्णस्वायत्ता का भरोसा दिलाना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 3.2

रिक्त स्थानों को भरिए

(क) किसी संगठन के गुण हैं (अ) लोगों का संगठित समूह (ब) .... रूचि, और (स) सामूहिक प्रयास, (सामान्य, विशेष)

(ख) राज्य की सदस्यता .... होती है। (स्वैच्छिक, अनिवार्य)

(ग) एक संगठन की तरह परिवार का स्थान राज्य से ....है। (बाद में, पहले)

(घ) अन्य संगठनों के पास राज्य की भांति...................... नहीं होती। (संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग)

टिप्पणी

3.4 राज्य और सरकार

जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार राज्य का एक घटक है। यह वह संस्था है जहां पर कानून बनाये और लागू किये जाते हैं और उन नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड मिलता है। यही राज्य का प्रत्यक्ष रूप है। इसमें राज्य के सभी लोग, संगठन और संस्थाऐं शामिल हैं जिनके द्वारा राज्य की इच्छा व्यक्त की जाती है और उसका प्रतिपादन भी होता है। यद्यपि राज्य अपनी सरकार के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है फिर भी दोनों में अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है।

(क) राज्य के पास इसके स्वाभाविक अधिकार है जबकि सरकार के पास नहीं। सरकार को यह शक्ति राज्य के अधिकारों, शक्तियों और संविधान द्वारा प्राप्त होती है।

मौलिक नियमों के संग्रह के रूप में संविधान वह मौलिक कानून है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार सुसंगठित होती है।

(ख) राज्य एक बड़ी इकाई है जिसमें इसके सभी नागरिक शामिल होते हैं; सरकार एक छोटी इकाई है जिसमें सरकार को सुचारू रूप से चलाने वाले कर्मचारी होते हैं। हम सभी राज्य के नागरिक तो होते हैं परंतु सरकार के सदस्य नहीं होते। **गार्नर** लिखते हैं:-

''सरकार राज्य का आवश्यक अंग है परंतु राज्य से बड़ी नहीं, वैसे ही जैसे किसी निगम का निदेशक समूह ही स्वयं निगम नहीं है।''

(ग) राज्य अमूर्त्त है। सरकार इस परिकल्पना का मूर्त रूप है। हम सरकार को देखते हैं परंतु राज्य को नहीं।

(घ) राज्य लगभग एक स्थायी संस्था है; ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तब तक कायम रहता है जब तक कि इस पर आक्रमण करके इसे किसी अन्य राज्य का हिस्सा न बना लिया जाए। सरकार अस्थायी होती है क्योंकि यह बदलती रहती है; आज जो शासक हैं वे कल शासक नहीं भी हो सकते। अन्य प्रकार से देखने पर राज्य सभी जगह एक जैसा हो सकता है परंतु सरकार का रूप एक से दूसरे राज्य में बदल सकता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस राज्य हैं। भारत और ग्रेट ब्रिटेन में जहाँ संसदीय सरकार है, वहीं अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार है।

संसदीय सरकार वह सरकार है जहां सरकार का विधायी अंग इसकी कार्यकारिणी अंग से घनिष्ठता से जुड़ा होता है; मंत्रिमण्डल इसी विधायी से लिया जाता है जिसके प्रति वह उत्तरदायी होता है, मुख्यतः संसद के निचले सदन के प्रति।

अध्यक्षीय सरकार वह सरकार है जहां सरकार का कार्यकारिणी अंग विधायी अंग से स्वतंत्र होता है; कार्यकारिणी का अलग अस्तित्व होता है और वह मंत्रिमण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।

(ङ.) संप्रभु शक्ति राज्य के पास होती है। सरकार केवल शक्तियों का प्रयोग करती है। राज्य की शक्तियां वास्तविक और मौलिक होती हैं।

(च) राज्य का विरोध करना सरकार के विरोध करने से अलग है। हम सरकार की आलोचना करते हैं न कि राज्य की। राज्य की आलोचना विद्रोह है; सरकार की आलोचना विद्रोह नहीं है। हम किसी भारतीय से कभी नहीं सुनते कि भारत खराब है बल्कि अक्सर यह सुनने में आता है कि किसी राजनीतिक दल या गठबंधन की अगुवाई वाली सरकार की नीतियां खराब हैं। राज्य की निंदा एक अपराध है। यह एक कर्तव्य है बल्कि अधिकार है कि कोई अपनी सरकार की आलोचना कर सकता है।

(छ) सरकार राज्य का केवल एक घटक है। यह संपूर्ण (राज्य) का एक भाग है। भाग होने के कारण यह राज्य से बड़ी नहीं हो सकती। जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम जनसंख्या, भू-भाग, सरकार और संप्रभुता की बात करते हैं, परंतु जब हम सरकार की बात करते हैं तो हम एक अंग की बात करते हैं; राज्य का एक मात्र घटक।

(ज) राज्य का क्षेत्र सदैव निश्चित होता है। यह बदलता नहीं है। सरकार का क्षेत्र कभी भी स्थायी नहीं होता। मुहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी बदलकर दौलताबाद कर दी थी। बहुत-सी सरकारों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जर्मनी के आक्रमण के डर के कारण अपनी राजधानी लंदन बना ली थी।

पाठगत प्रश्न 3.3

निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए:

(क) सरकार का कौन-सा अंग कानून बनाता है?

(ख) सरकार का कौन-सा अंग कानून लागू करता है?

(ग) संप्रभुता किसके पास होती है?

(घ) किस अंग के माध्यम से राज्य अपनी इच्छाएं प्रकट करता है?

(ड.) यदि राज्य अमूर्त है तो इसका मूर्त रूप क्या है?

3.5 राज्य और राष्ट्र

जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र का अर्थ है ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों का वह समुदाय जो एक समान भाषा, भू-भाग, अर्थव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक विचार के कारण एक ही संस्कृति में अभिव्यक्त है। **ब्लशंली** के अनुसार ''राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो विशेषत: भाषा, रीति-रिवाजों और समान सभ्यता के कारण आपस में बंधे होते हैं जो उनमें एकता की भावना जगाती है।'' राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से समरस सामाजिक समूह है।

राष्ट्र शब्द का अर्थ है ऐसे लोग जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग है और इसे (राजनैतिक रूप से) बरकरार रखना चाहते हैं, अर्थात राज्य व्यवस्था के अंदर।

जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का कानून के दायरे में एक व्यवस्थित समूह है। यह सदैव आतंरिक मामलों में सर्वशक्तिमान और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है। राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो मनोवैज्ञानिक रूप से बंधे होते हैं तथा समान रूप से सुख और दुख बाँटते हैं। राज्य और राष्ट्र के बीच निम्न प्रकार से भेद स्पष्ट कर सकते हैं।

(क) राष्ट्र और राज्य दो पृथक इकाईयां हैं। राष्ट्र सदैव एक राज्य नहीं भी हो सकता। अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। राज्य सदैव एक राष्ट्र नहीं भी हो सकता। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले ऑस्ट्रिया-हंगरी एक राज्य था परंतु राष्ट्र नहीं था क्योंकि यहां के विजातीय लोग सांस्कृतिक रूप से समरस समूह का निर्माण नहीं करते थे।

(ख) राज्य एक राज्य है क्योंकि यह संप्रभु है। राष्ट्र एक राज्य नहीं है क्योंकि यह संप्रभु नहीं है। संप्रभुता राज्य का प्रमुख गुण है; यह एक राष्ट्र का गुण नहीं है। कोई राष्ट्र तब राष्ट्र-राज्य बन जाता है जब उसे राज्य का दर्जा मिल जाता है।

(ग) राज्य एक राजनीतिक संकल्पना है जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि राष्ट्र एक राजनीतिक संकल्पना नहीं है।

(घ) राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में बंधे होते हैं; भावुकता लोगों को एक राष्ट्र में बांधे रखती है। राज्य की एकता सदैव बाह्य होती है; राष्ट्र की एकता अनंत होती है। राज्य के संदर्भ में एकता को आरोपित किया जाता है; यह कानून द्वारा उत्पन्न होती है। राष्ट्र के संदर्भ में एकता भावनाओं के द्वारा उत्पन्न होती है।

(ड.) राज्य के साथ एक और घटक है, बल का। राज्य के नियम एक बंधन की तरह हैं। यदि राज्य के नियमों का पालन नहीं होता है तो वह दमनकारी शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्र के संदर्भ में आपसी समझबूझ एक आवश्यक घटक है।

(च) राज्य के घटक निश्चित होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राष्ट्र के घटक निश्चित नहीं होते। कहीं पर राष्ट्र का निर्माण समान भाषा के कारण होता है और कहीं पर समान कुल के कारण। समान धर्म होने के कारण ही पाकिस्तान एक राष्ट्र बना; समान भाषा एक मुख्य कारण था अमेरिका को राष्ट्र बनाने में और समान विरासत ने भारत को एक राष्ट्र बनाया।

(छ) राज्य एक राष्ट्र से बड़ा हो सकता है। पूर्व सोवियत संघ सौ से अधिक राष्ट्रीयताओं का समूह था। इसके विपरीत राष्ट्र एक राज्य से बड़ा हो सकता है; एक राष्ट्रीयता दो से अधिक राज्यों में फैली हो सकती है। कोरियन राष्ट्रीयता दो राज्यों- उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया- में फैली हुई है।

पाठगत प्रश्न 3.4

रिक्त स्थान भरिए

(क) प्रथम विश्वयुद्ध से पहले आस्ट्रिया-हंगरी एक राज्य था, परंतु एक ....नहीं था।

(ख) जब राष्ट्र को राज्य का दर्जा मिल जाता है तो वह ....बन जाता है।

(ग) ....राज्य में लोगों को आपस में बाँधते हैं।

(घ) राज्य जबकि एक ....संकल्पना है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है।

(ङ) ....लोग एक सांस्कृतिक सामाजिक समूह बनाते हैं।

आपने क्या सीखा

इस अध्याय में आपने समाज, सरकार और संघ जैसी परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ा। पिछले अध्याय में आपने राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रीयता के बारे में पढ़ा। आपको यह जानना चाहिए कि समाज और राज्य दो भिन्न शब्द हैं: राज्य एक राजनीतिक परिकल्पना है तथा बाह्य सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है; समाज एक सामाजिक परिकल्पना है तथा इसमें संगठन और संघ निहित हैं। राज्य एक साधन है तथा समाज उसका साध्य। आपने यह भी सीखा कि एक संघ होते हुए भी राज्य दूसरे संघ या संगठनों से भिन्न होता है। राज्य

की अपनी प्रभुसत्ता होती है और अन्य संगठन इसे स्वीकार करते हैं। राज्य और सरकार समान नहीं हैं, यद्यपि राज्य के सारे कार्य सरकार करती है। सरकार राज्य का एक अंग है; वह अंग जो कानूनों को बनाती है और लागू करती है तथा इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को सजा भी देती है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, तथा अनंत है। आपने देखा होगा कि राज्य एक राजनैतिक संरचना/ संस्था है।

पाठांत प्रश्न

1. इन शब्दों को परिभाषित कीजिए: (क) राष्ट्र (ख) सरकार (ग) संघ
2. राज्य और समाज के बीच अंतर बताईये।
3. राज्य और दूसरे संघ के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. राज्य और सरकार के बीच क्या अंतर है?
5. राज्य और राष्ट्र में अंतर स्पष्ट कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

3.1

(क) राज्य

(ख) पहले

(ग) प्राकृतिक, बनावटी

(घ) साधन

(ङ) साध्य

(च) ऐच्छिक, यांत्रिक

3.2

(क) विशेष

(ख) अनिवार्य

(ग) पहले

(घ) संप्रभुता

3.3

(क) मंत्रिमण्डल

(ख) कार्यकारिणी

(ग) राज्य

(घ) सरकार

(ड.) सरकार

3.4

(क) राष्ट्र

(ख) राष्ट्र-राज्य

(ग) नियम

(घ) राजनीतिक

(ङ) समरस

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

1. खण्ड (a) 3.5, (b) 3.4 (c) 3.3 देखें
2. खण्ड 3.2 देखें
3. खण्ड 3.3 देखें
4. खण्ड 3.4 देखें
5. खण्ड 3.5 देखें